

[Prof. S. Nurul Hasan] the teaching community is making every effort to see that the time which has been lost is made up.

MR. SPEAKER: The Member whose name is here and who spoke is yet awaiting your reply; you are replying to interrupting Members.

PROF. S. NURUL HASAN: I am replying to my friend Mr. Parashar and he made this point.

I entirely agree with Shri Parashar that this university or any other university should not be allowed to become a political plaything. On an earlier occasion in this House I had made this statement that I would not like to be a party to making the students a football in the political playfield; I entirely agree with his views.

He also said that a student should be treated as a student and not as a criminal. With that broad sentiment I find myself in agreement, but with the proviso that if a student does not realise his duty as a student and the dignity of being a student and indulges in criminal acts and breaks the law of the land, he should not think that he is above the law and is a special kind of citizen, because I do not think that students should behave in an undignified manner. I have no doubt that the attitude of the Vice-Chancellor at Aligarh is that of a very affectionate father and he has been taking an extremely lenient view of even some of the activities of the students who do not deserve that amount of leniency.

So far as the student union is concerned, it has been suspended; it is not that it is wound up and a new union has to be created. It has been suspended for a brief period; after that it will start functioning in a normal manner.

12.48 hrs.

'RE. MOTION FOR ADJOURNMENT
(Query)

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, प्राप मेरे काम रोको प्रस्ताव पर निर्णय करें उसके पहले प्राप दो मिनट मुझको सुन लीजिये। अगर प्राप को मेरा तर्क जब तो प्राप उसको स्वीकार कीजिये। मैं कारण बताता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस को इन घाईर होल्ड नहीं करता।

श्री मधु लिमये : प्राप मेरी बात सुन लेने के बाद उस को रिजेक्ट कीजिये। मैं प्रापके अधिकार को चुनौती नहीं देता हूँ। यह तर्क या बहस की जगह है। प्राप मेरे तर्क को सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : इस के बारे में मुझको शक हो तब मैं सुनने को तैयार हूँ।

श्री मधु लिमये : क्या प्राप इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि यह स्टेट्स का मसला है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन को रिजेक्ट कर दिया है।

श्री मधु लिमये : प्राप मेरा कांस्टिट्यूशनल प्वाइंट भी सुनने को तैयार नहीं हैं, यह मैं दो महीने से बोल रहा हूँ। तीसरी और चौथी लोक सभा में स्पीकर सारी बात को सुनते थे और बाद में कहा करते थे कि मैं नहीं मानता हूँ; मैं इसको नामंजूर करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस वक्त स्पीकर नहीं था ।

श्री मधु सिन्घे : प्राखिर यह कौन सा तरीका है कि प्राप सुनेंगे नहीं ? यह बहस की जगह है । सुनने के बाद प्रस्वीकार कर दीजिए ।

प्राप को इसकीमान है, लेकिन discretion has to be used discreetly.

MR. SPEAKER: I am very clear about the Constitutional position.

श्री मधु सिन्घे : संविधान का प्राटिकल 256 इस प्रकार है:

"The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose."

मेरा एक ही मुद्दा है कि यह संसद्, राजस्थान की विधान सभा, राजस्थान की सरकार और केन्द्र की सरकार, ये सब कानून के राज्य और संविधान पर प्राधारित हैं । प्राज सबेरे मुझे दो टेलीफोन प्राये कि सेशन जज ने दो सौ लोगों को बेल देने का प्रार्डर जारी किया, मगर कार्यकारिणी कहती है कि सेशन जज के निर्णय के बावजूद हम बेल नहीं देंगे । एक सेशन जज कोर्ट में यह कहने के लिए बाध्य हो गये कि प्राप अपने लोगों को सरडर न करवायें क्योंकि ऐसा होने पर मैं बल का प्रादेश देने के बाद भी उन

को छुड़वाने की स्थिति में नहीं हूँ । इस तरह कानून का राज्य खत्म हो जाता है ।

कोर्ट ने प्रादेश दिया है, लेकिन कार्यपालिका नहीं मान रही है । संविधान में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को सब त्रिबिल प्राधिकारी मदद देंगे । क्या संविधान में लिखा है कि जिला कोर्ट को मदद नहीं दी जायेगी ? अध्यक्ष महोदय, प्राप गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल कीजिए कि क्या राजस्थान में कानून का राज्य खत्म हुआ है या नहीं । उस के बाद प्राप मेरे स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय कीजिए ।

MR. SPEAKER: He can go to the higher court. These matters have nothing to do with this Parliament.

12.52 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER WEALTH-TAX ACT, INCOME-TAX ACT, ESTATE DUTY ACT, ETC.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): On behalf of Shri K. R. Ganesh I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Wealth-tax (Third Amendment) Rules, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 327 (E) in Gazette of India dated the 4th June, 1973, under sub-section (4) of section 46 of the Wealth-tax Act, 1957. [Placed in Library. See No. LT-5198/73.]

(2) A copy of the Income-tax (Third Amendment) Rules, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 369 (E)